

## अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

प्रेषक,

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर निगम,  
आदित्यपुर।

राँची, दिनांक-23/10/17 /

प्रसंग :- आपका पत्रांक-1739 दिनांक-22.07.2017, पत्रांक-2251 दिनांक-13.10.2017 एवं पत्रांक-2496 दिनांक-14.10.2017

विषय :- श्री भगवती प्रसाद सिंह, पिता-स्व० गोकुल प्रसाद सिंह एवं श्रीमती शशिवाला देवी, पति श्री-भगवती प्रसाद सिंह, प्लॉट सं०-नया 1748, 1749, पुराना 1878, 1843, खाता सं०-नया 106, 107, पुराना 271, थाना-128, मौजा-दिन्दली, आदित्यपुर के प्रस्तावित भवन निर्माण में अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

महाशय,

प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न किये गये प्लान के अनुसार निर्मित होने वाले प्रस्तावित भवन के लिये निम्नलिखित अग्नि-सुरक्षात्मक सुझाव दिये जाते हैं :-

1. प्लान में दर्शाये गये संकेत चिन्हों के अनुरूप अग्नि-सुरक्षा की व्यवस्था की जाय।
2. प्रस्तावित भवनों के सामने वाले भाग में कम से कम 1,50,000 ली० क्षमता का एक अदद अण्डर ग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
3. प्रस्तावित भवन के उपर 20,000 ली० क्षमता का एक अदद ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण अग्निशमन कार्य हेतु कराया जाय।
4. प्रस्तावित भवन में 2280 ली०/मि० क्षमता का एक शक्तिशाली पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जो पूरे सिस्टम में जलापूर्ति करने में सक्षम हो।
5. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
6. प्रस्तावित भवन में 900 ली०/मि० क्षमता का एक अदद टेरेस पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
7. विद्युत मेन कंट्रोल पैनल को Fire Suppression System से सुरक्षित किया जाय।
8. फायर इस्केप रूट वाली सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किये जाँय।
9. प्रस्तावित भवन की विद्युत व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही कराये जाँय।
10. प्रस्तावित भवन के किसी भी बालकोनी को ग्रील लगाकर पूर्णतः अवरुद्ध नहीं किया जाय।
11. प्रस्तावित भवन में प्रति 400 वर्ग मीटर के लिए एक की दर से 06 के०जी० क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
12. प्रस्तावित भवन में फायर लिफ्ट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसकी क्षमता 540 के०जी० से कम न हो।
13. प्रस्तावित भवन के स्टेयर केस लॉबी में 15 लीटर क्षमता का एक-एक अदद Water Mist Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
14. प्रस्तावित भवन के किसी भी दुकान में विस्फोटक पदार्थ अथवा अत्यंत ज्वलनशील प्रकृति के सामग्रीयों का भण्डारण अथवा बिक्री नहीं की जायेगी।
15. प्रस्तावित भवन के फायर लिफ्ट को वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था के माध्यम से स्वतंत्र रूप से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय।



16. बेसमेंट के लिये अलग से सीढ़ी की व्यवस्था की जाय। लिफ्ट में ऐसी व्यवस्था रखी जाय कि उपरी तलों से लिफ्ट से आने पर सतही तल पर आवश्यक रूप से रुकने के बाद ही बेसमेंट में जा सके।
17. प्रस्तावित भवन में तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
18. प्रस्तावित भवन में ऐसे Manually Operated Electrical Fire Alarm की व्यवस्था की जाय। जिसका कॉल प्वाइंट प्रत्येक स्टेयरकेस लॉबी में हो।
19. प्रस्तावित भवन के सामने वाले भाग में दो-दो अदद Yard Hydrant का संस्थापन कराया जाय।
20. Swimming Pool के चारो ओर निम्नलिखित जीवन रक्षक उपकरण आरक्षित अवस्था में रखे जायें।  
(a) Life buoy - 02-02 अदद।  
(b) Life Jacket - 02-02 अदद।
21. प्रस्तावित भवन के स्टेयकेश लॉबी को स्वचालित फायर चेक डोर से सुरक्षित किया जाय।
22. Front Setback Area इस प्रकार खुला एवं चौरस रखने की व्यवस्था की जाय कि सामने का कम से कम 12 मीटर चौड़ी, समतल एवं ठोस जगह अग्निशमन एवं बचाव कार्य हेतु हमेशा उपलब्ध रह सके।
23. किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित न किया जाय, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में Fire Tender के Movement में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
24. बेसमेंट से जल निकासी की समुचित व्यवस्था रखी जाय।
25. बेसमेंट में Transformer, Boiler, Pressurized Cylinder, Generator, A.C जैसे Positive Pressure वाले उपकरण न रखे जायें।
26. प्रस्तावित भवनों के बेसमेंट वाले भाग में समुचित Ventilation की व्यवस्था रखी जाय। ताकि प्रति घंटा कम से कम 12 से 15 एयर चेंज होता रह सके एवं आपात स्थिति में इसे 30 एयर चेंज तक बढ़ाया जा सके।
27. उपर्युक्त अग्नि सुरक्षात्मक व्यवस्था करा लिये जाने के पश्चात् भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान (Hard and Soft Copy) में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने से पहले एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का अक्षरशः अनुपालन कर लिया गया है।
28. अग्नि-सुरक्षा की दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच संबंधित भवन प्राधिकार के माध्यम से झारखण्ड अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेंगे।
29. भवन निर्माण के किसी भी भाग में यदि बाद में Plan या Nature of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करें।
30. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.5 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।
31. प्लान की हस्ताक्षरित प्रति सुझाव के साथ वापस किये जा रहे हैं।

**अनुलग्नक :-** यथोक्त।

विश्वासभाजन,

*(Signature)*  
23.7.17

(राम कृष्ण ठाकुर)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।